भारत सरकार

विधि मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 10 नवम्बर, 1960

केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना) नियम, 1956 को अधिक्रांत करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960[1]

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---(1) ये नियम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये 1961 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं और निर्वचन---(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो---

(क) "अधिनियम" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "घोषित पद" से ऐसा पद अभिप्रेत है जिसकी बाबत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है कि वह ऐसा पद है जिसे धारा 20 की उपधारा (4) के उपबंध लागू हैं;

[2][(खख) "इलैक्ट्रानिक राजपत्र" का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ध) में है ;]

[3][(ग) "प्ररूप" से वह प्ररूप अभिप्रेत है जो इन नियमों से संलग्न है और किसी निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में उसके अंतर्गत उस भाषा में या उन भाषाओं में से किसी में उसका अनुवाद आता है जिसमें उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है ;]

[2][(गग) "प्रवासी निर्वाचक" से धारा 20क में निर्दिष्ट भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जो अर्हता की तारीख को अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो;]

(घ) "रजिस्ट्रीकरण आफिसर" से निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर अभिप्रेत है और उसका सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर इसके अंतर्गत आता है;

(ङ) "नामावली" से निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

[4]* * * * * *

(2) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इन नियमों के निर्वचन के लिए ऐसे लागू होगा जैसे वह संसद् के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

भाग 2

सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां

3. निर्वाचन-क्षेत्र का अर्थ--- इस भाग में "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ।

4. नामावली का प्ररूप और भाषा--- हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्ररूप में और ऐसी भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी जिसे या जिन्हें निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

5. नामावली का भागों में तैयार किया जाना----(1) नामावली सुविधाजनक भागों में विभाजित की जाएगी जो क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे ।

(2) नामावली के अंतिम भाग में सेवा अर्हता रखने वाले ऐसे हर व्यक्ति और उसकी पत्नी के, यदि कोई हो, नाम अंतर्विष्ट होंगे जो उस नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार, नियम 7 के अधीन किए गए कथन के आधार पर हैं ।

(3) घोषित पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी के, यदि कोई हो, नाम की नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार, नियम 7 के अधीन किए गए कथन के आधार पर हैं, नामावली के उस भाग में सम्मिलित किए जाएंगे जो उस स्थान से संबंधित हैं जिसमें ये, उस कथन के अनुसार, मामूली तौर से निवासी होते ।

[2][(3क) धारा 20क के अधीन नामावली में सम्मिलित किए जाने के हकदार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक का नाम, नामावली के उस भाग में सम्मिलित किया जाएगा जो उस स्थान से संबंधित है, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथावर्णित भारत में उसके निवास का स्थान अवस्थित है ।]

(4) नामावली के किसी भाग में सम्मिलित नामों की संख्या मामूली तौर से दो हजार से अधिक न होगी ।

---

[1] विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0आ0 2750, तारीख 10 नवंबर, 1960, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (ii), पृ0 633 में प्रकाशित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा खंड (छ) का लोप किया गया ।

6. नामों का क्रम--- (1) जब तक कि मुख्य निर्वाचक आफिसर निर्वाचन आयोग द्वारा निकाले गए किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए किसी भाग की बाबत यह अवधारित न करे कि वर्णक्रम अधिक सुविधाजनक होगा या नाम भागतः एक और भागतः दूसरे क्रम में दर्ज किए जाएं, नामावली के हर एक भाग में निर्वाचकों के नाम गृह-संख्यांक के क्रम में दर्ज किए जाएंगे ।

(2) नामावली के हर एक भाग में निर्वाचकों के नाम यावत्साध्य अंक 1 से आरंभ होने वाली पृथक् अंकमाला के अनुसार क्रमवर्ती रूप में संख्यांकित किए जाएंगे ।

7. धारा 20 के अधीन कथन--- (1) हर व्यक्ति, जो घोषित पद धारण करता है या सेवा अर्हता रखता है और उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए वांछा रखता है जिसमें, यदि वह ऐसा पद धारण न करता या ऐसी अर्हता न रखता तो, वह मामूली तौर से निवासी होता, [1][उस निर्वाचन-क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण आफिसर] को [2][प्ररूप 1, 2, 2क और 3] में से ऐसे एक प्ररूप में कथन देगा जो समुचित हो ।

(2) उपनियम (1) के अधीन दिया गया हर कथन उस प्ररूप में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(3) हर ऐसा कथन तब विधिमान्य न रह जाएगा जब उसे करने वाले व्यक्ति का, यथास्थिति, घोषित पद धारण करना या सेवा अर्हता रखना समाप्त हो जाता है ।

8. निवास गृहों के अधिभोगियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी--- रजिस्ट्रीकरण आफिसर नामावली की तैयारी के प्रयोजन के लिए प्ररूप 4 में निवेदनपत्र निर्वाचन-क्षेत्र में या उसके किसी भाग में निवास गृहों के अधिभोगियों को भेज सकेगा और किसी ऐसे पत्र को पाने वाला हर व्यक्ति उसमें मांगी गई जानकारी को अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार देगा ।

[1][**8क. प्रवासी निर्वाचकों के रूप में व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए नोटिस देने की रीति**--लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 36) के प्रारंभ पर और ऐसे अन्य समयों पर, जो निर्वाचन आयोग निदेशित करे, मुख्य निर्वाचन आफिसर, नामावली में प्रवासी निर्वाचकों के नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए, धारा 20क के अधीन प्रवासी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए हकदार प्रत्येक व्यक्ति से [2][नियम 8ख के अधीन आवेदन करने का] अनुरोध करने वाली एक लोक अधिसूचना जारी करेगा और ऐसी अधिसूचना की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार के सभी विदेश स्थित मिशनों को भेजी जाएगी और वह ऐसा प्रचार भी करेगा जिसे वह समीचीन और आवश्यक समझे ।

8ख. प्रवासी निर्वाचकों के नाम नामावली में सम्मिलित करना--(1) प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक जो रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा निरर्हित न हो तथा जो उस स्थान से संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथावर्णित भारत में उसके निवास का स्थान अवस्थित है, रजिस्ट्रीकृत होने का इच्छुक हो, प्ररूप 6क में संबंधित रजिस्ट्रीकरण आफिसर को सीधे आवेदन कर सकेगा या डाक द्वारा उसे आवेदन भेज सकेगा ।

(2) नियम 13 के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंध प्रवासी निर्वाचक के रूप में नाम सम्मिलित करने या किसी प्रविष्टि की किन्हीं विशिष्टियों या किसी प्रविष्टि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के संबंध में दावा या आपत्तियों को फाइल करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(3) डाक द्वारा भेजे गए प्ररूप 6क के प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त प्ररूप में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होगी, जो [3][स्वयं द्वारा सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित] होगी ।

(4) रजिस्ट्रीकरण आफिसर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत प्ररूप 6क में प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त प्ररूप में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होंगी, जिसके साथ रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सत्यापन के लिए उनकी मूल प्रतियां संलग्न की जाएंगी ।

(5) जहां किसी प्रवासी निर्वाचक के रूप में नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए किसी दावे या आपत्ति के संबंध में कोई व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक है तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर, यदि आवश्यक समझा जाए तो इस प्रयोजन के लिए संबद्ध देश में भारतीय मिशन के किसी पदधारी को पदाभिहित कर सकेगा ।]

9. कुछ रजिस्टरों तक पहुंच--- किसी नामावली की तैयारी या नामावली की बाबत किसी दावे या आक्षेप के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रीकरण आफिसर और एतद्द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति की पहुंच किसी जीवन-मृत्यु के रजिस्टर तक और किसी शैक्षणिक संस्था के प्रवेश रजिस्टर तक होगी और ऐसे रजिस्टर के भारसाधक हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त आफिसर या व्यक्ति को ऐसी जानकारी और उक्त रजिस्टर में से ऐसे उद्धरण दे जैसे वह अपेक्षित करे ।

10. नामावली के प्रारूप का प्रकाशन--- जैसे ही निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली तैयार हो जाए रजिस्ट्रीकरण आफिसर उसके प्रारूप को---

(क) उस दशा में, जिसमें उसका कार्यालय निर्वाचन-क्षेत्र में है अपने कार्यालय में, तथा

(ख) उस दशा में, जिसमें उसका कार्यालय निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर है निर्वाचन-क्षेत्र में ऐसे स्थान में जैसा इस प्रयोजन के लिए उस द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, [4][या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर की शासकीय वेबसाइट में],

उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और प्ररूप 5 में सूचना संप्रदर्शित करके, प्रकाशित करेगा :

[5][परंतु जहां ऐसे प्ररूप में प्रवासी निर्वाचकों के नाम अंतर्विष्ट हैं, वहां ऐसी नामावलियों की प्रतियां इलैक्ट्रानिक राजपत्र में [6][या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में] भी प्रकाशित की जाएंगी ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874. तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] शुद्धिपत्र, अधिसूचना सं0 का0आ0 306(अ), तारीख 9 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं. 426 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] अधसूचना सं. 426 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित ।

[5] अधिसूचना सं0 का0आ0 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

[6] अधिसूचना सं0 का0आ0 426(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित ।

11. नामावली और सूचना का अतिरिक्त प्रचार--- रजिस्ट्रीकरण आफिसर---

(क) प्ररूप 5 में सूचना की प्रति के सहित नामावली के एक पृथक् भाग की प्रति जनता की पहुंच वाले विनिर्दिष्ट स्थान में, और उस क्षेत्र में या उसके निकट, जिससे उस भाग का संबंध है, निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध करेगा,

(ख) प्ररूप 5 वाली सूचना का ऐसा अतिरिक्त प्रचार भी करेगा जैसा वह आवश्यक समझे, तथा

(ग) नामावली के हर एक पृथक् भाग की दो प्रतियां भी ऐसे हर राजनैतिक दल को [1][जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने राज्य में प्रतीक अनन्यतः आरक्षित किया है,] खर्च लिए बिना देगा।

[2]**[12. दावे और आक्षेप दाखिल करने के लिए कालावधि**--- नामावली में नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए हर दावा और उसमें की किसी प्रविष्टि पर हर आक्षेप नामावली के प्ररूप के नियम 10 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के अंदर या पन्द्रह दिन से अनधिक उतनी लघुतर कालावधि में जितनी इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा नियत की जाए दाखिल किया जाएगा :

परंतु निर्वाचन आयोग पूरे निर्वाचन-क्षेत्र की बाबत या उसके किसी भाग की बाबत इस कालावधि को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकता है ।]

13. दावों और आक्षेपों के लिए प्ररूप---(1) हर दावा---

(क) प्ररूप 6 में होगा, [3][तथा]

(ख) उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराना चाहता है, [4]***

[4]* * * * * *

(2) नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने की बाबत हर आक्षेप---

(क) प्ररूप 7 में होगा, [3][तथा]

(ख) केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसका नाम पहले से ही उस नामावली में सम्मिलित है, [4] * *

[4]* * * * * *

(3) नामावली में की किसी प्रविष्टि की विशिष्टि या विशिष्टियों की बाबत हर आक्षेप---

(क) प्ररूप 8 में होगा ; और

(ख) केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध है ।

[5][(4) किसी प्रविष्टि को नामावली के एक भाग से दूसरे भाग में अन्यत्र रखने के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 8क में होगा ।]

14. दावे और आक्षेप दाखिल करने की रीति--- हर दावा या आक्षेप---

(क) या तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर के या ऐसे अन्य आफिसर के, जो इस निमित्त उस द्वारा अभिहित किया जाए, समक्ष उपस्थित किया जाएगा, या

(ख) रजिस्ट्रीकरण आफिसर को [6]* * * डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

15. अभिहित आफिसरों की प्रक्रिया---(1) नियम 14 के अधीन अभिहित हर आफिसर---

(क) प्ररूप 9 में दावों की सूची, नामों के सम्मिलित किए जाने की बाबत आक्षेपों की प्ररूप 10 में सूची और विशिष्टियों की बाबत आक्षेपों की प्ररूप 11 में सूची, दो प्रतियों में रखेगा, तथा

(ख) अपने कार्यालय में सूचना-पट्ट पर हर एक ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित रखेगा ।

(2) जहां कि कोई दावा या आक्षेप उसके समक्ष उपस्थित किया जाता है वहां वह उपनियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् ऐसी टिप्पणियों के सहित, यदि कोई हों, जिन्हें करना वह उचित समझता है, उसी रजिस्ट्रीकरण आफिसर के पास भेजेगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 2791, तारीख 24 नवंबर, 1961 द्वारा "जिसके लिए प्रतीक आबंटित किया गया है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 35 (अ), तारीख 21 जनवरी, 1977 द्वारा नियम 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 817(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1993 द्वारा अंतःस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 817(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1993 द्वारा "तथा" शब्द और खंड (ग) का लोप किया गया ।

[5] अधिसूचना सं0 का0आ0 934(अ), तारीख 18 अगस्त, 2003 द्वारा अंतःस्थापित ।

[6] अधिसूचना सं0 का0आ0 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा "रजिस्ट्रीकृत" शब्द का लोप किया गया ।

16. रजिस्ट्रीकरण आफिसर की प्रक्रिया---रजिस्ट्रीकरण आफिसर भी,---

(क) प्ररूप 9, 10 और 11 में तीन सूचियां दो प्रतियों में रखेगा और सीधे नियम 14 के अधीन किए गए या नियम 15 के अधीन भेजे गए हर दावे या आक्षेप की विशिष्टियां उन सूचियों में वैसे ही और तब प्रविष्ट करेगा जैसे ही और जब वह दावा या आक्षेप उसे प्राप्त हो, तथा

(ख) अपने कार्यालय में सूचना-पट्ट पर हर एक ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित रखेगा :

[1][परंतु जहां कोई दावा या आपत्ति, प्रवासी निर्वाचक के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, वहां ऐसे दावों या आपत्तियों की एक सूची उसके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और साथ ही ऐसे रूप में, जैसा निर्वाचन आयोग आदेश करे, इलैक्ट्रानिक राजपत्र में [2][या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में] भी प्रकाशित की जाएगी ।]

17. कुछ दावों और आक्षेपों का खारिज किया जाना---जो कोई दावा या आक्षेप एतस्मिन विनिर्दिष्ट कालावधि के अंदर या प्ररूप और रीति में दाखिल नहीं किया गया है वह रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा खारिज कर दिया जाएगा ।

18. जांच के बिना दावों और आक्षेपों का प्रतिग्रहण----किसी दावे या आक्षेप की विधिमान्यता के बारे में यदि रजिस्ट्रीकरण आफिसर का समाधान हो जाता है तो उस तारीख से, जिसको वह नियम 16 के खंड (ख) के अधीन उसके द्वारा प्रदर्शित सूची में प्रविष्ट किया जाता है, एक सप्ताह के अवसान के पश्चात् किसी अतिरिक्त जांच के बिना वह उसे अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु जहां कि किसी ऐसे दावे या आक्षेप के अनुज्ञात किए जाने के पूर्व किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण आफिसर से जांच की मांग लिखित रूप में की है, वहां अतिरिक्त जांच के बिना वह अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

19. दावों और आक्षेपों की सुनवाई की सूचना---(1) जहां कि कोई दावा या आक्षेप नियम 17 या नियम 18 के अधीन नहीं निपटाया जाता वहां रजिस्ट्रीकरण आफिसर---

(क) दावे या आक्षेप की सुनवाई की तारीख, समय और स्थान नियम 16 के खंड (ख) के अधीन अपने द्वारा प्रदर्शित सूची में विनिर्दिष्ट करेगा, तथा

(ख) (i) दावे की दशा में, प्ररूप 12 में दावेदार को,

(ii) नाम के सम्मिलित किए जाने की बाबत आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता को प्ररूप 13 में और उस व्यक्ति को प्ररूप 14 में जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, तथा

(iii) प्रविष्टियों में विशिष्टि या विशिष्टियों की बाबत आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता को प्ररूप 15 में सुनवाई की सूचना देगा ।

(2) इस नियम के अधीन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप में या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या निर्वाचन-क्षेत्र के अंदर व्यक्ति के निवास या अंतिम ज्ञात निवास पर लगा कर दी जाएगी ।

20. दावों और आक्षेपों की जांच---(1) रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे हर दावे या आक्षेप की संक्षिप्त जांच करेगा जिसकी बाबत नियम 19 के अधीन सूचना दी गई है और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा ।

(2) सुनवाई में, यथास्थिति, दावेदार या आक्षेपकर्ता और वह व्यक्ति, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, और कोई अन्य व्यक्ति जिसकी बाबत रजिस्ट्रीकरण आफिसर की यह राय है कि यह संभाव्यता है कि वह व्यक्ति मेरे लिए सहायक होगा, उपसंजात होने और सुने जाने का हकदार होगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण आफिसर स्वविवेक में---

(क) यह अपेक्षा किसी दावेदार, आक्षेपकर्ता या उस व्यक्ति से, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, कर सकेगा कि तुम मेरे समक्ष स्वयं उपसंजात हो,

(ख) यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा निविदत्त साक्ष्य शपथ पर दिया जाए और उस प्रयोजन के लिए शपथ दिला सकेगा ।

21. जो नाम अनवधानता से छूट गए हैं उन्हें सम्मिलित करना--- [3][(1)] रजिस्ट्रीकरण आफिसर को यदि यह प्रतीत होता है कि किन्हीं निर्वाचकों के नाम तैयारी के दौरान [4]*** अनवधानता या गलती के कारण, नामावली में से छूट गए हैं

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 426(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा नियम 21 को उस नियम के उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

और इस नियम के अधीन उपचारी कार्यवाही की जानी चाहिए तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर---

(क) ऐसे निर्वाचकों के नामों और अन्य ब्यौरों की सूची तैयार करेगा,

(ख) सूची की एक प्रति को उस समय और स्थान के बारे में, जिस पर नामावली में इन नामों को सम्मिलित करने पर विचार किया जाएगा, सूचना सहित अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर दर्शित करेगा, और ऐसी अन्य रीति में, जैसे वह ठीक समझे, सूची और सूचना को प्रकाशित भी करेगा, तथा

(ग) जो कोई मौखिक या लिखित आक्षेप किए जाएं उन पर विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि क्या उन नामों में से सबको या किसी को नामावली में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

[1][(2) यदि नियम 7 के अधीन कोई कथन नियम 10 के अधीन नियमावली के प्रारूप के प्रकाशन के पश्चात प्राप्त होते हैं तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर नामावली के उचित भागों में निर्वाचकों के उन नामों के सम्मिलित किए जाने के लिए निदेश देगा जो उन कथनों के अंतर्गत हों ।]

[2][**21क. नामों का निकाला जाना**---यदि नामावली के अंतिम प्रकाशन से पूर्व किसी समय रजिस्ट्रीकरण आफिसर को यह प्रतीत होता है कि मृत व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गए हैं, या नहीं हैं; या ऐसे व्यक्ति जो उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं हैं, अनवधानता या गलती के कारण या अन्यथा नामावली में सम्मिलित किए गए हैं और इस नियम के अधीन उपचारी कार्यवाही की जानी चाहिए तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर,---

(क) ऐसे निर्वाचकों के नामों के और अन्य ब्यौरों की सूची तैयार करेगा,

(ख) सूची की एक प्रति को, उस समय और स्थान के बारे में, जहां और जब इन नामों को नामावली से निकाले जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा, सूचना सहित अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और ऐसी अन्य रीति में, जैसी वह ठीक समझे, सूची या सूचना को प्रकाशित भी करेगा**;** और

(ग) जो कोई मौखिक या लिखित आक्षेप किए जाएं, उन पर विचार करने के पश्चात् यह भी विनिश्चय करेगा कि क्या उन नामों में से सबको या किसी को नामावली में से निकाल दिया जाना चाहिए :

परंतु किसी व्यक्ति की बाबत इस आधार पर कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या नहीं है या उस नामावली में रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, इस नियम के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, रजिस्ट्रीकरण आफिसर उसे यह हेतुक दिखाने के लिए कि उसके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाए, युक्तियुक्त अवसर देने के सब प्रयत्न करेगा ।]

22. नामावली का अंतिम प्रकाशन---(1) रजिस्ट्रीकरण आफिसर तत्पश्चात्---

(क) नियम 18, 20, [3][21 और 21क] के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए और नामावली में की ऐसी किन्हीं लेखन या मुद्रण संबंधी गलतियों या अन्य अशुद्धताओं को जिनका तत्पश्चात् पता चले शुद्ध करने के लिए संशोधनों की सूची तैयार करेगा; [4]***

(ख) संशोधनों की सूची सहित नामावली को अपने कार्यालय में उसकी पूरी प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और प्ररूप 16 में सूचना संप्रदर्शित करके प्रकाशित करेगा; [5][परंतु जहां किसी नामावली में किसी प्रवासी निर्वाचक का नाम अंतर्विष्ट है तो उसे इलैक्ट्रानिक राजपत्र में [6][या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में] भी प्रकाशित किया जाएगा ; [7][तथा]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अंतःस्थापित किया गया ।
[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा नियम 21क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 1519, तारीख 25 अप्रैल, 1968 द्वारा "और 21" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 233(अ), तारीख 31 मार्च, 1984 द्वारा "तथा" शब्द का लोप किया गया ।
[5] अधिसूचना सं0 का0आ0 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।
[6] अधिसूचना सं0 का0आ0 426(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित ।
[7] अधिसूचना सं0 का0आ0 233(अ), तारीख 31 मार्च, 1984 द्वारा अंतःस्थापित ।

[7][(ग) ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए जो निर्वाचन आयोग दे, ऐसे प्रत्येक राजनैतिक दल को, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने कोई प्रतीक अनन्य रूप से आरक्षित किया है, अंतिम रूप से प्रकाशित नामावली की दो प्रतियों को, संशोधनों की, यदि कोई हों, सूची सहित, निःशुल्क प्रदाय करेगा ।]

(2) ऐसे प्रकाशन पर संशोधनों की सूची सहित नामावली निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी ।

[1][(3) जहां कि नामावली (जिसे इस उपनियम में इसके पश्चात् आधारी नामावली कहा गया है) संशोधनों की सूची सहित, उपनियम (2) के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली बन जाती है वहां रजिस्ट्रीकरण आफिसर, सभी संबंधित व्यक्तियों को सुविधा के लिए, आधारी नामावली के ही सुसंगत भागों में सूची में के [2][आधारी नामावली के ही सुसंगत भागों में प्रविष्टियों के नाम, संशोधन, उन्हें अन्यत्र रखने या निकाले जाने को सम्मिलित करके], नामावली में सूची का समावेश, निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त निकाले गए किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन, कर सकेगा, किंतु इस प्रकार के ऐसे समावेश के दौरान किसी निर्वाचक के नाम या किसी निर्वाचक से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों में, जैसी कि वे संशोधनों की सूची में दी गई हैं, कोई परिवर्तन न हो ।]

23. दावों और आक्षेपों का विनिश्चय करने वाले आदेशों से अपीलें--- (1) नियम 20, [3][नियम 21 या नियम 21क] के अधीन रजिस्ट्रीकरण आफिसर के किसी विनिश्चय की अपील सरकार के ऐसे आफिसर से की जाएगी जिसे निर्वाचन आयोग इस निमित्त अभिहित करे (जिसे एतस्मिन पश्चात् अपील आफिसर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है):

परंतु अपील उस सूरत में नहीं होगी जिसमें कि अपील की वांछा करने वाले व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील का विषय है, रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सुने जाने या अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का फायदा नहीं उठाया है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन हर अपील---

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी; और

(ख) विनिश्चय के सुनाए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की कालावधि के अंदर अपील आफिसर के समक्ष उपस्थित की जाएगी या उस आफिसर को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसे भेजी जाएगी कि वह उक्त कालावधि के अंदर तक उसके पास पहुंच जाए ।

(3) इस नियम के अधीन अपील उपस्थित करने का यह प्रभाव न होगा कि कोई ऐसा कार्य रोक दिया जाए या मुल्तवी कर दिया जाए जो रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियम 22 के अधीन किया जाना है ।

(4) अपील आफिसर का हर विनिश्चय अंतिम होगा, किंतु जहां तक कि वह रजिस्ट्रीकरण आफिसर के विनिश्चयों को उलटता है या उपांतरित करता है वहां तक वह अपील के विनिश्चय की तारीख से ही प्रभावी होगा ।

(5) रजिस्ट्रीकरण आफिसर नामावली में ऐसे संशोधन कराएगा जैसे इस नियम के अधीन अपील आफिसर के विनिश्चयों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों ।

24. निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःपरिसीमन पर निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के लिए विशेष उपबंध---(1) यदि कोई निर्वाचन-क्षेत्र विधि के अनुसार नए सिरे से परिसीमित किया जाए और ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली आत्यांतिकतः तैयार करना आवश्यक हो, तो निर्वाचन आयोग यह निदेश दे सकेगा कि वह---

(क) विद्यमान निर्वाचन-क्षेत्रों या उनके ऐसे भागों की, जो नए निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं, ऐसी नामावलियों को एक साथ जोड़ करके, और

(ख) ऐसे संकलित नामावलियों के क्रम विन्यास, क्रम संख्यांकन और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके, तैयार की जाए ।

(2) ऐसे तैयार की गई नामावली नियम 22 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रकाशित की जाएगी और ऐसे प्रकाशन पर वह नए निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी ।

[4][**24क. पूर्व परिसीमित निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के लिए विशेष उपबंध**--(1) नियम 24 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अन्तिम परिसीमन से पूर्व किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली आत्यंतिकतः तैयार करना आवश्यक हो, तो निर्वाचन आयोग यह निदेश दे सकेगा कि वह--

(क) नए परिसीमित निर्वाचन-क्षेत्रों या उसके सुसंगत भागों के तत्स्थानी क्षेत्रों जो पूर्व परिसीमित निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट थे, ऐसी नामावलियों को एक साथ जोड़ करके ; और

(ख) ऐसी तैयार की गई नामावलियों के क्रम विन्यास, क्रम संख्यांकन और शीर्षक आदि में समुचित परिवर्तन करके,

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 1033, तारीख 12 मार्च, 1970 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 1519, तारीख 25 अप्रैल, 1968 द्वारा "नियम 21" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 1219(अ), तारीख 15 मई, 2009 द्वारा (15-5-2009 से) अंतःस्थापित ।

तैयार की जाए ।

(2) ऐसी तैयार की गई नामावली नियम 22 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रकाशित की जाएगी और ऐसे प्रकाशन पर वह संबद्ध पूर्व परिसीमित निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली होगी ।]

25. [1][नामावलियों का पुनरीक्षण]--- (1) हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन या तो विस्तारपूर्वक या संक्षिप्ततः या अंशतः विस्तारपूर्वक और अंशतः संक्षिप्ततः ऐसे पुनरीक्षित की जाएगी, जैसे निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(2) जहां कि नामावली या उसका कोई भाग किसी वर्ष में विस्तारपूर्वक पुनरीक्षित की जानी या किया जाना है, वहां वह नए सिरे से तैयार की जाएगी या किया जाएगा और ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में 4 से लेकर 23 तक के नियम ऐसे लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं ।

(3) जबकि नामावली या उसका कोई भाग किसी वर्ष में संक्षिप्ततः पुनरीक्षित की जानी है या किया जाना है तब रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसी जानकारी के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भागों के संशोधनों की सूची तैयार कराएगा और नामावली को संशोधनों की सूची के प्रारूप सहित प्रकाशित करेगा; और ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में नियम [2][8क] से लेकर नियम 23 तक के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) जहां कि उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों को सूची के प्रारूप के प्रकाशन और नियम 22 के अधीन उसके अंतिम प्रकाशन के बीच किसी समय धारा 23 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है वहां रजिस्ट्रीकरण आफिसर उन नामों को पुनरीक्षित नामावली में भी उस दशा में के सिवाय सम्मिलित कराएगा जिसमें कि उसकी राय में ऐसे सम्मिलित किए जाने के लिए कोई विधिमान्य आक्षेप है ।

26. [3][निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्टियों का शुद्ध किया जाना और नामों को सम्मिलित किया जाना]--- [4][(1) धारा 22 या धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन हर आवेदन प्ररूप [5][6, [6][6क], 7, 8, 8क और 8ख] में से ऐसे एक प्ररूप में जैसा समुचित हो, दो प्रतियों में किया जाएगा [7]*** ।] :

[8][परंतु ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास सेवा अर्हताएं हैं, निर्वाचक नामावली के अंतिम रूप से प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त प्ररूप 2, 2क और 3 में विवरणियों को, धारा 22 और 23 के अधीन आवेदन के रूप में माना जाएगा [7]***।

[8][(1क) ऐसा प्रत्येक आवेदन, जो उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है, रजिस्ट्रीकरण आफिसर के पास ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जो निर्वाचन आयोग निदेश दे ।]

[9]* * * *

[7]* * * *

(3) [10]*** रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर अविलंब यह निदेश देगा कि उसकी एक प्रति यह आमंत्रित करने वाली सूचना के साथ अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगा दी जाए कि ऐसे लगाए जाने की तारीख से सात दिन की कालावधि के अंदर ऐसे आवेदन पर आक्षेप किए जाएं ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा "नामावलियों का वार्षिक पुनरीक्षण" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) "9" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 2315, तारीख 21 सितंबर, 1961 द्वारा पार्श्वशीर्ष "निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] अधिसूचना सं0 का0आ0 934(अ), तारीख 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] अधिसूचना सं0 का0आ0 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

[7] अधिसूचना सं0 का0आ0 537(अ), तारीख 22 जुलाई, 1992 द्वारा उपनियम (2) और (2क) तथा कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

[8] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा अंतःस्थापित ।

[9] अधिसूचना सं0 का0आ0 817(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1993 द्वारा उपनियम (1ख) का लोप किया गया ।

[10] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

[1][(4) यदि रजिस्ट्रीकरण आफिसर को कोई आवेदन या उसके आक्षेप प्राप्त हुए हों तो वह उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उन पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाए तो, वह नामावली में जैसा आवश्यक हो, प्रविष्टियों के समावेश, निकाले जाने, संशोधन या अन्यत्र रखने का निदेश देगा :

परंतु जब रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी आवेदन को नामंजूर कर देता है तो वह ऐसे नामंजूर किए जाने के अपने कारणों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में अभिलिखित करेगा ।]

27. [2]* नियम 26 के अधीन आदेशों से अपीलें**--- [3][(1) धारा 24 के अधीन हर अपील,---

(क) [4][अपीलार्थी] द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में ;

(ख) अपीलित आदेश की प्रति के साथ[5] [6][पांच रुपए की फीस सहित] जो कि---

(i) न्यायिकेतर स्टांपों के रूप में दी जाएगी; या

(ii) मुख्य निर्वाचन आफिसर के नाम में सरकारी खजाने में या भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाएगी; या

(iii) ऐसी अन्य रीति में दी जाएगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे; और]

[7][(ग) मुख्य निर्वाचन आफिसर के समक्ष उस आदेश की तारीख से, जिसके खिलाफ अपील की गई है पन्द्रह दिन की कालावधि के अंदर उपस्थित करके या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसे भेजी जाकर कि उक्त कालावधि के अंदर उसके पास पहुंच जाए,]

की जाएगीः

[8][परंतु यदि मुख्य निर्वाचन आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि अपील को विहित समय के भीतर प्रस्तुत न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त हेतुक है तो वह उसे विलंब से अपील प्रस्तुत करने के लिए माफ कर सकेगा।]

[9][(1क) जहां कि फीस उपनियम (1) के खंड (ख) (ii) के अधीन जमा की जाती है वहां अपीलार्थी फीस जमा करने के सबूत के रूप में सरकारी खजाने की रसीद अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न करेगा ।]

[10][(2) अपील की बाबत उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस दशा में, जिसमें कि अपील का ज्ञापन मुख्य निर्वाचन आफिसर को स्वयं या उस द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य आफिसर को अपीलार्थी द्वारा या उसकी ओर से परिदत्त किया गया है मुख्य निर्वाचन आफिसर के समक्ष उपस्थित की गई है ।]

28. अधिसूचित निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचकों के लिए अभिज्ञान-पत्र [11]*** --(1) निर्वाचन आयोग मतदान के समय निर्वाचकों का प्रतिरूपण रोकने और उनका अभिज्ञान सुकर बनाने की दृष्टि से, राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा उपनियम (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा "आवेदनों का अग्रहण" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 2315, तारीख 21 सितंबर, 1961 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा "आवेदक" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] अधिसूचना सं0 का0आ0 370, तारीख 25 जनवरी, 1968 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा "एक रुपए की फीस सहित" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा अंतःस्थापित ।
[9] अधिसूचना सं0 का0आ0 370, तारीख 25 जनवरी, 1968 द्वारा अंतःस्थापित ।
[10] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] अधिसूचना सं0 का0आ0 1505, तारीख 21 अप्रैल, 1969 द्वारा लोप किया गया ।

द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि इस नियम के उपबंध [1][किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र या उसके भाग] को लागू होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) ऐसे अधिसूचित निर्वाचन-क्षेत्र का रजिस्ट्रीकरण आफिसर उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना के निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र इस नियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया अभिज्ञान-पत्र हर निर्वाचक को दिए जाने के लिए इंतजाम करेगा ।

(3) अभिज्ञान-पत्र---

(क) दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा,

(ख) में निर्वाचक का नाम, आयु, निवास-स्थान और ऐसी अन्य विशिष्टयां अंतर्विष्ट होंगी जैसी निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं,

(ग) के साथ निर्वाचक का एक फोटोग्राफ लगा होगा जो सरकार के व्यय पर खिंचवाया गया होगा, तथा

(घ) में रजिस्ट्रीकरण आफिसर का अनुलिपि हस्ताक्षर होगाः

परंतु यदि निर्वाचक अपना फोटोग्राफ खिंचवाने से इंकार करता है या बचता है या शासकीय फोटोग्राफर द्वारा बार-बार प्रयत्न किए जाने पर भी अपने निवास-स्थान में नहीं पाया जाता तो निर्वाचक के लिए ऐसा अभिज्ञान-पत्र तैयार न किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा रखी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में इंकार करने या बचने का या इस बात का कि बार-बार प्रयत्न करने पर भी निर्वाचक अपने निवास-स्थान में नहीं पाया गया, टिप्पण कर दिया जाएगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन तैयार किए गए अभिज्ञान-पत्र की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा रख ली जाएगी और दूसरी प्रति निर्वाचक को परिदत्त कर दी जाएगी जिसे वह मतदान के समय पेश करने के लिए अपने पास रखेगा ।

[2][भाग 3

दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

29. दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए नामावलियां--- दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में भाग 2 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू हैं ।]

भाग 4

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

30. स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए नामावलियां--- (1) हर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्ररूप, रीति और भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी और बनाए रखी जाएगी जैसे या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(2) [3][नियम 26 के उपनियम (3) और (4) के सिवाय और नियम 27] के उपबंध स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू हैं:

परंतु नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन प्ररूप 17 में दिया जाएगा :

[4][परंतु यह और भी कि जहां नियम 26 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा प्राप्त किया जाए, वहां वह ऐसे आवेदन को संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक आफिसर को निर्दिष्ट करेगा

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 1505, तारीख 21 अप्रैल, 1969 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 2577, तारीख 6 सितंबर, 1963 द्वारा भाग 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा "नियम 26 और 27" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा दूसरे परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

और मुख्य कार्यपालक आफिसर से उसके संबंध में सूचना की प्राप्ति पर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसार कार्य करेगा ।]

31. स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए नामावलियां----(1) हर स्नातक या शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्ररूप, रीति और भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी जैसी या जैसे निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(2) नामावली सुविधाजनक भागों में विभाजित की जाएगी जो क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे ।

(3) नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण आफिसर [1][अक्तूबर] को या से पूर्व एक लोक सूचना निकालेगा जिसमें उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए, यथास्थिति, प्ररूप 18 या प्ररूप 19 में आवेदन आगामी [1][नवंबर] के सातवें दिन से पूर्व उसके कार्यालय में भेज दे या परिदत्त कर दे :

[2][परंतु मध्य प्रदेश की राज्य विधान परिषद् के लिए प्रथम बार नामावली तैयार करने के प्रयोजनार्थ 1 अक्तूबर और नवंबर के सातवें दिन के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थ क्रमशः 31 दिसंबर, 1966 और फरवरी, 1967 के सातवें दिन के प्रति किए गए निर्देशों के रूप में किया जाएगा ।]

(4) निर्वाचन-क्षेत्र में चलने वाले दो समाचारपत्रों में उक्त सूचना प्रकाशित की जाएगी और एक बार 15 [1][अक्तूबर] को या उसके लगभग और फिर 25 [1][अक्तूबर] को या उसके लगभग उसमें पुनः प्रकाशित की जाएगी :

[2][परंतु मध्य प्रदेश की राज्य विधान परिषद् के लिए प्रथम बार नामावली तैयार करने के संबंध में 15 अक्तूबर और 25 अक्तूबर के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थ क्रमशः 15 जनवरी और 25 जनवरी, 1967 के प्रति किए गए निर्देशों के रूप में किया जाएगा ।]

[3][(4क) उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंध धारा 21 की उपधारा (2) (क) (ii) के अधीन हर स्नातक या शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली के पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे ऐसी नामावली की तैयारी के संबंध में लागू होते हैं किंतु वे इन उपांतरों के अधीन रहेंगे कि उपनियम (3) में 1 अक्तूबर और नवंबर के सातवें दिन के प्रति निर्देशों का और उपनियम (4) में 15 अक्तूबर और 25 अक्तूबर के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः ऐसी तारीखों के प्रति निर्देशों के रूप में किया जाएगा जो ऐसे प्रत्येक पुनरीक्षण के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।]

(5) नियम 13 के उपनियम (1) के खंड (ग) और उपनियम (2) के खंड (ग) के सिवाय नियम 10 से लेकर नियम 27 तक के उपबंध स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे कि सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू हैं :

परंतु नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए दावा या आवेदन प्ररूप 18 या प्ररूप 19 में से जो भी समुचित हो उसमें किया जाएगा :

[4]* * * * *

भाग 5

निर्वाचक नामावलियों का परिरक्षण और व्ययन

32. नामावलियों और संसक्त कागजपत्रों की अभिरक्षा और परिरक्षण--- (1) निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली के अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिए जाने के पश्चात् निम्नलिखित कागजपत्र, अर्थात्:---

(क) नामावली की एक पूरी प्रति,

(ख) मुख्य निर्वाचन आफिसर को नियम 7 के अधीन निवेदित कथन,

(ग) रजिस्ट्रीकरण आफिसर को नियम 8 के अधीन निवेदित कथन,

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 2315, तारीख 21 सितंबर, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 3963, तारीख 24 दिसंबर, 1966 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 1127, तारीख 1 अप्रैल, 1967 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा दूसरे परंतुक का लोप किया गया ।

(घ) प्रगणन प्ररूपों का रजिस्टर,

(ङ) नामावली की तैयारी के संबंध में आवेदन,

(च) प्रगणन अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए और नामावली के संकलन के लिए उपयोग में लाए गए पांडुलिपि भाग,

(छ) दावों और आक्षेपों से संबद्ध कागजपत्र,

(ज) नियम 23 के अधीन अपीलों से संबद्ध कागजपत्र, तथा

(झ) धारा 22 और 23 के अधीन आवेदन,

रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान में जैसा मुख्य निर्वाचन आफिसर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, तब तक रखे जाएंगे जब तक उस नामावली के अगले विस्तृत पुनरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष का अवसान न हो जाए ।

(2) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली की ऐसी एक प्रति भी, जो रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणीकृत है ऐसे स्थान में, जैसा मुख्य निर्वाचन आफिसर विनिर्दिष्ट करे [1][स्थायी अभिलेख के रूप में] रखी जाएगी ।

33. निर्वाचक नामावलियों और संसक्त कागजपत्रों का निरीक्षण--- हर व्यक्ति को नियम 32 में निर्दिष्ट निर्वाचन कागजपत्रों के निरीक्षण का और उनकी अनुप्रमाणित प्रतियां लेने का अधिकार ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा नियत की जाए, होगा ।

34. निर्वाचक नामावलियों और संसक्त कागजपत्रों का व्ययन---(1) नियम 32 में निर्दिष्ट कागजपत्र उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान पर और ऐसे साधारण या विशेष निदेशों, यदि कोई हों, के अध्यधीन, जैसे इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाएं, ऐसी रीति में व्ययनित किए जाएंगे जैसी मुख्य निर्वाचन आफिसर निर्दिष्ट करे ।

(2) किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली की उस संख्या से अधिक प्रतियां, जितनी संख्या में नियम 32 के अधीन वे निक्षिप्त की जाने के लिए और किसी अन्य लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं, ऐसे समय और रीति में व्ययनित की जाएंगी जैसा या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे और ऐसे व्ययन के न किए जाने तक वे लोगों को विक्रय के लिए उपलभ्य रहेंगी।

[2][भाग 6

प्रकीर्ण

35. पुराने प्ररूपों का प्रयोग--- यदि ऐसी तारीख से, जिसको इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष कोई दावा, आक्षेप या अन्य आवेदन करने के लिए किसी प्ररूप में कोई संशोधन किया जाता है, छह मास की कालावधि के दौरान, किसी समय कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जैसा वह ऐसे संशोधन से पूर्व था, यथास्थिति, ऐसा दावा, आक्षेप या अन्य आवेदन करता है तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे दावे, आक्षेप या अन्य आवेदन पर कार्रवाई करेगा और वह, इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति से लिखित रूप में सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी अतिरिक्त जानकारी (वह जानकारी, जो यदि संशोधन प्ररूपों का प्रयोग किया गया होता तो, दी गई होती) ऐसे समुचित समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, दे ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 1128(अ), तारीख 29 दिसंबर, 1987 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्ररूप 1

(नियम 7 देखिए)

घोषित पद को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा मामूली निवास-स्थान के बारे में कथन

पूरा पता .....

[1][पिता/माता/पति का नाम] .....

आयु .....वर्ष

धृत पद .....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और यदि मैं उपरिवर्णित पद धारण किए न होता तो मैं (पूरा डाक का पता) .....

.....में मामूली तौर से निवासी होता ।

मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी (नाम) .....

जिसकी आयु ..... वर्ष है मेरे साथ मामूली तौर से निवास करती है [2][और वह भारत की नागरिक है] ।

मामूली निवास-स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्द्वारा रद्द हो जाता है ।

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

तारीख .....

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 303(अ), तारीख 8 मई, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 2315, तारीख 21 सितंबर, 1961 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][प्ररूप 2

(नियम 7 देखिए)

सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा मामूली निवास-स्थान के बारे में कथन

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और यदि सशस्त्र बलों में मेरी सेवा न होती तो मैं---

गृह सं.....
गली/मोहल्ला.....
परिक्षेत्र.....
नगर/ग्राम.....
डाकघर.....
पुलिस थाना.....
तहसील/तालुका.....
जिला.....
राज्य.....

में मामूली तौर से निवासी होता ।

मेरा पूरा नाम.....
सेवा सं.....पंक्ति.....
सेवा/कोर/ रेजिमेंट.....
अभिलेख कार्यालय का नाम और पता.....
पिछले जन्म दिन पर आयु.....वर्ष.....
*मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी.....

जिसकी आयु..... वर्ष है मेरे साथ मामूली तौर से निवास करती है और वह भारत की नागरिक है ।

मामूली निवास-स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतदद्वारा रद्द हो जाता है ।

तारीख.....20... हस्ताक्षर.....

अभिलेख कार्यालय
फोलियो सं0
स्थान.....
तारीख.....

सत्यापित किया और ठीक पाया गया
(हस्ताक्षर).....
(पदाभिधान).....
अभिलेख भारसाधक आफिसर.....

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग के लिए)

कथन.....20.....को प्राप्त हुआ
.....सभा निर्वाचन-क्षेत्र (सं0.....) के लिए निर्वाचक नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं0.....पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

.....
[2][निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर] ।]

तारीख.....20....

---

* यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3667, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्ररूप 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा "मुख्य निर्वाचन आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 2क

(नियम 7 देखिए)

राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे सदस्य द्वारा, जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है मामूली निवास-स्थान के बारे में कथन

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और नीचे वर्णित सशस्त्र पुलिस बल में यदि मेरी सेवा राज्य के बाहर न होती तो मैं---

गृह सं0.....
गली/मोहल्ला.....
परिक्षेत्र.....
नगर/ग्राम.....
डाकघर.....
पुलिस थाना.....
तहसील/तालुका.....
जिला.....
राज्य.....
में मामूली तौर से निवासी होता ।
मेरा पूरा नाम.....
पंक्ति.....

बक्सुआ सं0.....
सशस्त्र पुलिस बल का नाम.....
कमांडेंट के कार्यालय का नाम और पता.....
पिछले जन्म दिन पर आयु.....वर्ष

* मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी.....जिसकी आयु....वर्ष है मेरे साथ, मामूली तौर से निवास करती है और वह भारत की नागरिक है।

मामूली निवास-स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्द्वारा रद्द हो जाता है।

तारीख.....20... .....

(हस्ताक्षर)

---

* यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

कमांडेंट का कार्यालय सत्यापित किया और ठीक पाया गया।

फोलियो सं0..... (हस्ताक्षर).....

स्थान..... (पदाभिधान).....
तारीख..... कमांडेंट

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग के लिए)

कथन.....200.....को प्राप्त हुआ.....सभा निर्वाचन-क्षेत्र (सं0.....) के लिए निर्वाचक नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं0.....पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

तारीख.....20... .....

[2][निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर] ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 4371, तारीख 21 अक्तूबर, 1964 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा "मुख्य निर्वाचन आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

प्ररूप 3

(नियम 7 देखिए)

भारत के बाहर पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित व्यक्ति द्वारा मामूली निवास-स्थान के बारे में कथन

पूरा नाम.....
[1][पिता/माता/पति का नाम] .....
आयु.....वर्ष
भारत के बाहर धृत पद का वर्णन
.....
.....
.....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और यदि मैं ऊपर वर्णित पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित न होता तो मैं (पूरा डाक पता) .....में मामूली तौर से निवासी होता।

मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी (नाम) .....जिसकी आयु.....वर्ष है मेरे साथ मामूली तौर से निवास करती है [2][और वह भारत की नागरिक है] ।

मामूली निवास-स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्द्वारा रद्द हो जाता है ।

स्थान..... हस्ताक्षर.....
तारीख..... सत्यापित ।

स्थान..... हस्ताक्षर.....
तारीख..... कार्यालय के प्रधान का पदाभिधान
.....

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग के लिए)

कथन.....20.....को प्राप्त हुआ।
.....तथा निर्वाचन-क्षेत्र (सं0.....) के लिए निर्वाचन नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं0.....पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

तारीख..... .....
[3][निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 303 (अ) , तारीख 8 मई, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 2315, तारीख 21 सितम्बर, 1961 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा "मुख्य निर्वाचन आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

प्ररूप 4

(नियम 8 देखिए)

प्रार्थना पत्र

स्थान.....
तारीख.....

सेवा में
.....
.....
.....का अधिभोगी

महोदय/महोदया,

विधान सभा के जिस निर्वाचन-क्षेत्र में आप निवास कर रहे/रही हैं, उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही है। यदि आप संलग्न अनुदेशों को पढ़ने के पश्चात् कृपया निम्न विवरण को पूरा कर दें और मेरा जो सहायक उसे लेने के लिए आपके पास आएगा उसको इसे दे दें उससे मेरे काम में बहुत सुविधा होगी।

.....
सभा निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

विवरण

उन वयस्क नागरिकों के नाम और विशिष्टियां जो ऊपर वर्णित परिसर में मामूली तौर से निवासी हैं

नागरिक का नाम	[1][पिता या माता या पति संबंधी विशिष्टियां]	[2][जनवरी/अप्रैल, 20.....को आयु]
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
आदि		

हस्ताक्षर.....
तारीख.....

अनुदेश

1. उन सब व्यक्तियों के नाम प्रविष्ट कीजिए जो इस वर्ष की [2][1 जनवरी/अप्रैल को या उससे पूर्व 18 वर्ष की आयु] पूरी कर चुके हैं और उस परिसर में मामूली तौर से निवासी हैं।

2. केवल उन्हीं के नाम प्रविष्ट किए जाने चाहिएं जो भारत के नागरिक हैं ।

3. पहले स्तंभ में क्रम संख्यांक 1 के आगे कुटुम्ब के मुख्य अथवा अन्य ज्येष्ठ सदस्य का नाम प्रविष्ट कीजिए परन्तु यह तब जब कि उसमें ऐसी अर्हताएं हों जो ऊपर के पैरा 1 और 2 में वर्णित हैं ।

4. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति उस समय, जब आप प्ररूप भर रहे हों, वस्तुतः उस गृह में ही है। उसके अंतर्गत वे व्यक्ति भी लिए जाने चाहिएं जो उस गृह में प्रसामान्यतः रहते हैं भले ही वे वहां से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हों, उदाहरणार्थ यात्रा या कारबार के लिए गए हों या अस्पताल में हों । इसके विपरीत वह अतिथि या आगन्तुक जो प्रसामान्यतः अन्यत्र रहता है किन्तु संयोगवश उस समय उस गृह में है, उसके अंतर्गत नहीं लिया जाना चाहिए ।

5. मामूली तौर से गृह के सब निवासी इसके अंतर्गत किए जाने चाहिएं भले ही वे कुटुम्ब के सदस्य हों या न हों । किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो भारत के सशस्त्र बलों का सदस्य है या जो भारत से बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है या ऐसे व्यक्ति की पत्नी का नाम, यदि उसके साथ मामूली तौर से निवासी है, प्रविष्ट न कीजिए ।

6. हर पुरुष नागरिक की दशा में दूसरे स्तंभ में उसके पिता का नाम और उसके पश्चात् "का पुत्र" शब्द प्रविष्ट कीजिए।

7. हर नागरिक के संबंध में दूसरे स्तंभ में :---

(i) उस दशा में, जिसमें कि वह विवाहिता है, उसके पति का नाम और उसके पश्चात् "की पत्नी" शब्द,

(ii) उस दशा में, जिसमें कि वह विधवा है, उसके मृत पति का नाम और उसके पश्चात् "की विधवा" शब्द, और

(iii) उस दशा में, जिसमें कि वह विवाहिता है, उसके [1][पिता या माता] का नाम और उसके पश्चात् "की पुत्री" शब्द प्रविष्ट कीजिए ।

8. तीसरे स्तम्भ में नागरिक की यथासंभव ठीक-ठाक आयु प्रविष्ट कीजिए, पूरे वर्षों की संख्या ही दीजिए और मास छोड़ दीजिए ।

[3]**[टिप्पण :** 1989 में नामावलियों को तैयार करने/पुनरीक्षण के लिए "जनवरी" का लोप करें और "अप्रैल" को प्रतिधारित करें । किसी अन्य वर्ष में नामावलियों को तैयार करने/पुनरीक्षण के लिए, "अप्रैल" का लोप करें और "जनवरी" को प्रतिधारित करें ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 303(अ), तारीख 8 मई, 1993 से कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 409(अ), तारीख 6 जून, 1989 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 409(अ), तारीख 6 जून, 1989 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][प्ररूप 5

(नियम 10 देखिए)

निर्वाचक नामावली के प्ररूप के प्रकाशन की सूचना

सेवा में,

.....निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचकगण ।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अनुसार तैयार हो गई है और उसकी एक प्रति कार्यालय के समय के दौरान मेरे कार्यालय में और. .....में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है ।

निर्वाचक नामावली के तैयार किए जाने की अर्हक तारीख.....है ।

यदि पूर्वोक्त अर्हक तारीख के संदर्भ में, नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह.....20.....को या उससे पूर्व प्ररूप 6, 7 या 8 में से, जो समुचित हो, उस प्ररूप में दाखिल किया जाए ।

हर ऐसा दावा या आक्षेप या तो मेरे कार्यालय में या.....के समक्ष पेश किया जाए या नीचे दिए गए पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाए कि वह मुझे उपरोक्त तारीख के पश्चात् मिल जाए ।

.....
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
पता.....]

तारीख.....

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 6

[नियम 13(1) और 26 देखिए]

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

.....सभा निर्वाचन-क्षेत्र/संसदीय£ निर्वाचन-क्षेत्र ।

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूं कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए । निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

1. आवेदक का ब्यौरा	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
1 जनवरी..... # को आयु	वर्ष :	मास :	लिंग (पुरुष/स्त्री) :
जन्म-तिथि, यदि ज्ञात है :	दिन :	मास :	वर्ष :
जन्म का स्थान :	ग्राम/नगर :		
***पिता माता का नाम पति**	जिला :		राज्य :
	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
2.मामूली तौर पर निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता) :			
मकान / गृह सं0 :			
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क:			
नगर/ग्राम :			
डाकघर :	पिन कोड :		
तहसील/तालुक/मंडल/थाना :			
जिला :			

£ ऐसे संघ राज्यक्षेत्र जहां विधान सभा नहीं है और जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में ।

कृपया वर्ष लिखें अर्थात् 2003, 2004, आदि ।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

..... (छिद्रण).....

आवेदन की रसीद

**श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो **.....का/की निवासी है, से प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ ।

**पता.....

तारीख.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर के
हस्ताक्षर

(पता).....

.....

**आवेदक द्वारा भरा जाएगा ।

[1] अधिसूचना सं. क.आ. 934(अ), तारीख 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्ररूप 6, 7, 8 और 8क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. निर्वाचन-क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित किए गए आवेदक के कुटुंब के सदस्य (यों) के ब्यौरे :

नाम	आवेदक के साथ नातेदारी	निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली की भाग सं0	उस भाग में क्रम सं0	निर्वाचक की फोटो पहचान पत्र सं0 (यदि जारी किया गया है)
1.				
2.				

4. **घोषणा :**

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसारः—

(i) मैं भारत का नागरिक हूं, (ii) मैं----------से (तारीख,मास,वर्ष) ऊपर भाग-2 में दिए गए पते वाले स्थान में मामूली तौर से निवासी हूँ ; (iii) मैंने किसी अन्य निर्वाचन- क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ; (iv) *इस या किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है

या

*मेरा नाम--------राज्य के--------- निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए ।

पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान)

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं0 (यदि जारी किया गया है)..... ;जारी करने की तारीख.....;

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पण–कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी ----------जो----------का/की निवासी है, के प्ररूप 6 में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के आवेदन को *स्वीकार कर लिया गया है/*नामंजूर कर दिया गया है ।

स्वीकार करने [नियम 18/*20/*26/(4)[£] के अधीन या उसके अनुसरण में] या *नामंजूर करने [नियम 17/*20/*26/(4)[£] के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण :

स्थान :

तारीख :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ताक्षर

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की मुहर)

£ निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन बनाए रखने के दौरान ।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

[1][**प्ररूप 6क**
(नियम 8ख् देखिए)

किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर,
..... सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

.....जिला
.....भारत का राज्य

इस खाने के भीतर पूर्ण मुख को दर्शित करने वाला (3.5 x 3.5 से.मी.) का हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूं कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जिसमें नीचे मद 1(ज) में प्रस्तुत विशिष्टियों के अनुसार मेरा निवास स्थान अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए ।

भाग - क

निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

(क) नाम.....
(ख) मध्य नाम.....
(ग) उपनाम .....
(घ) जन्म की तारीख .....दिन.....मास..... .वर्ष.
(ङ) लिंग (पुरुष/स्त्री)
(च) जन्म का स्थान :
  (i) ग्राम/नगर .....
  (ii) जिला .....
  (iii) राज्य .....
(छ) पिता/माता/पति का ब्यौरा :
  (i) नाम .....
  (ii) मध्य नाम.....
  (iii) उपनाम.....
(ज) भारत में मामूली तौर पर निवास का स्थान (पासपोर्ट में दिए गए अनुसार पूरा पता) :
  (i) मकान/गृह सं.....
  (ii) गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क.....
  (iii) नगर/ ग्राम.....
  (iv) डाकघर.....
  (v) पिन कोड .....
  (vi) तहसील/तालुक/मंडल/थाना.....
  (vii) जिला .....
(झ) पासपोर्ट का ब्यौरा :
  (i) पासपोर्ट संख्या .....
  (ii) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के जारी होने का स्थान.....
  (iii) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के जारी होने की तारीख.....
  (iv) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के अवसान की तारीख.....

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

{ऊपर मद (क) से (झ) में वर्णित विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की - यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो [1][सम्यक् रूप से स्वतः अनुप्रमाणित] प्रतियों को और यदि व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न करें ।}

(ञ) वर्तमान निवास के देश के वीजा का ब्यौरा :

(i) वीजा संख्या .....

(ii वीजा का प्रकार (एकल प्रवेश/बहुविध प्रवेश/ पर्यटक/ कार्य वीजा आदि) .....

(iii) वीजा के जारी होने की तारीख .....

(iv) वीजा के जारी होने का स्थान.....

(v) वीजा के अवसान की तारीख .....

(vi) जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम .....

{ऊपर उल्लिखित वर्तमान विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन को अंतर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की - यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो [1][सम्यक् रूप से स्वतः अनुप्रमाणित] प्रतियों को और यदि व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न करें ।}

2. भारत में मामूली तौर से निवास के स्थान से अनुपस्थिति का वर्णन–

(क) भारत में मामूली तौर पर निवास के स्थान से अनुपस्थित होने का कारण - (i) नियोजन/ (ii) शिक्षा/ (iii) अन्य (विवरण दें)

.....

(ख) वह तारीख जिससे भारत में मामूली तौर पर निवास से अनुपस्थित रहा है ।

.....(दिन/मास/वर्ष)

3. भारत से बाहर के देश का पूर्ण आवासीय पता, जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है,.....
..... ।

4. भारत से बाहर के देश का पूर्ण शासकीय पता जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है (नियोजन या शैक्षणिक संस्था, जहां वह अध्ययन कर रहा है, के स्थान का पता)..... ..... ।

5. **घोषणा–** मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार–

क. इस आवेदन मे दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है ।

ख. मैं जन्म से/अधिवास से/देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक हूं ।

ग. मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नही की है ।

घ. किन्तु ऊपर 2(क) में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित होने के कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूंगा, जिसे ऊपर [1][1(ज)] में उद्धृत किया गया है ।

ङ. मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं ।

च. मेरे निवास के देश में मेरे निवास के पते में कोई परिवर्तन होने पर निवार्चक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के लिए मैं मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं । मैं यह जानता हूं कि मेरे निवास पर भेजा गया कोई नोटिस, जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के अनुसार मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे निवास का पता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मुझे नोटिस की सम्यक् तामील समझी जाएगी, और यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे अद्यतन निवास के पते की सूचना मैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को देता रहूं ।

---

[1] शुद्धिपत्र, का0आ0 306 (अ), तारीख 9 फरवरी, 2011 द्वारा शुद्धि की गई ।

छ. यदि मैं भारत वापस लौटता हूं और भारत में मामूली तौर पर निवासी हो जाता हूं, तो मैं संबंधित विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करूंगा ।

ज. मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ।

झ. इस या किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में मेरा नाम पहले सम्मिलित नहीं किया गया है ।

या

मेरा नाम.....राज्य के.....निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकेगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि उसे उस निवार्चक नामावली से हटा दिया जाए या स्थानांतरित कर दिया जाए, जैसा भी उपयुक्त हो ।

पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान).....

निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्यांक (यदि जारी किया गया है).....

जारी करने की तारीख.....

ञ. मुझे भारत में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है/ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है जो निरस्तीकरण के लिए इस आवेदन के साथ संलग्न है ।

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

तारीख.....

भाग-ख

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय में प्रयोग के लिए)

.....(दिन/मास/वर्ष) को आवेदन प्राप्त हुआ

श्री/श्रीमती/कुमारी.....का प्ररूप 6क में आवेदन :–

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसके नाम को..... (निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. ..... में क्रम सं. ..... पर सम्मिलित कर लिया ।

(ख) नामंजूर करने के विस्तृत कारण.....

तारीख..... [निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर]

भाग - ग
आवेदन की अभिस्वीकृति
(जब व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर को प्रस्तुत किया जाए)

प्ररूप 6क में श्री/श्रीमती/कुमारी.....पता..... का आवेदन प्राप्त हुआ ।

तारीख .....

सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.....
पता.....] ।

प्ररूप 6क में आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

साधारण अनुदेश

प्ररूप 6क किसके द्वारा भरा जा सकता है

1. विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी विदेश की नागरिकता अर्जित नहीं की है और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथा उल्लिखित भारत में उसका निवास-स्थान अवस्थित है, संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप 6क में आवेदन कर सकता है । प्ररूप 6क में आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ।

2. आवेदक ने वर्ष की 1 जनवरी को अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो । उदाहरणार्थ, यदि निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन 1-1-2011 की अर्हक तारीख के प्रतिनिर्देश से है, तो आवेदक द्वारा 1-1-2011 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो ।

प्ररूप 6क में आवेदन को कहां प्रस्तुत किया जाए

3. आवेदन को उस निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसके भीतर विधिमान्य पासपोर्ट में दिए गए अनुसार आवेदक के मामूली निवास का स्थान आता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर (इआरओ) को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्ररूप 6क में आवेदन को इआरओ को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है या संबंधित इआरओ के डाक पते पर भेजा जा सकता है ।

[भारत के सभी निर्वाचन-क्षेत्रों के इआरओ की विशिष्टियां और डाक पते भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (http://eci.nic.in) पर देखी जा सकती हैं]

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

4. आवेदक के पूर्ण मुख को दर्शित करने वाला एक हाल ही में खींचा गया आवेदक का पासपोर्ट आकार का एक रंगीन फोटो चिपकाएं, जिसकी पृष्ठभूमि हल्के रंग (अधिमानतः सफेद) की हो ।

5. प्ररूप 6क के सभी स्तंभ भरें । विधिमान्य भारतीय पासपोर्ट में दिए गए अनुसार अपना नाम और अन्य विशिष्टियां लिखें ।

6. यदि आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसके साथ आवेदक के फोटो और अन्य सभी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों और विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन अन्तर्विष्ट करने वाले पृष्ठ की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिएं । **ये फोटो प्रतियां [1][सम्यक् रूप से स्वतः] अनुप्रमाणित होनी चाहिएं** । इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियों के बिना भेजे गए आवेदन सीधे नामंजूर किए जाने के दायी होंगे ।

7. यदि आवेदन को व्यक्तिगत रूप से इआरओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन के साथ ऊपर यथा उल्लिखित पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिएं । रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सत्यापन के लिए आवेदन के साथ मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए । सत्यापन के तुरन्त पश्चात् पासपोर्ट को लौटा दिया जाएगा ।

मतदान

8. यह उल्लेखनीय है कि आपके नामांकन के पश्चात्, आप निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान करने में उस समय समर्थ होंगे यदि आप मतदान के दिवस को अपने मूल पासपोर्ट के साथ मतदान केन्द्र में स्वयं उपस्थित हैं ।

---

[1] शुद्धिपत्र, का0आ0 306 (अ), तारीख 9 फरवरी, 2011 द्वारा शुद्धि की गई ।

प्ररूप 7

[नियम 13(2) और 26 देखिए]

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने की वांछा पर आक्षेप के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

....

विधान सभा/ £ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के ।

महोदय,

@मैं उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ । मेरे आक्षेप के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी जा रही हैं ।

या

@मैं निवेदन करता हूँ कि *मुझसे/*नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि इसमें आगे कथित कारणों से हटाए जाने के लिए अपेक्षित है:

1. @उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है : @उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसकी प्रविष्टि हटायी जानी है :	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
	निर्वाचक नामावली के उस भाग की सं0 जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :	उस भाग में उसका/उसकी क्र0 सं0 :	निर्वाचक की फोटो पहचान पत्र सं0 (यदि जारी किया गया है) :

#2.	आक्षेपकर्ता के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई है)
	लिंग (पुरुष/स्त्री):	निर्वाचक नामावली के उस भाग की सं0 जिसमें आक्षेपकर्ता का नाम सम्मिलित किया गया है :	उस भाग में उसका / उसकी क्र0 सं0:
*पिता / माता / पति का नाम		नाम	उपनाम (यदि कोई है)

3.	@आक्षेपकर्ता/@नाम हटाए जाने वाले व्यक्ति के मामूली तौर पर निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता) :
मकान/ गृह सं0:	
गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र / मोहल्ला / सड़क:	
नगर / गांव :	
डाकघर :	
तहसील / ताल्लुक / मंडल / थाना :	पिन कोड
जिला :	

£ ऐसे संघ राज्यक्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं हैं और जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में ।

@ पहला विकल्प, निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने/उसका पुनर्विलोकन किए जाने के दौरान सुसंगत होगा । दूसरा विकल्प निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन करने के दौरान सुसंगत होगा ।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

#भाग 2 वहां नहीं भरा जाना है जहां आवेदक स्वयं से संबंधित प्रविष्टि को हटाने की वांछा करता है

.... छिद्रण ....

आवेदन की रसीद

श्री / श्रीमती / कुमारी .....जो.....का / की निवासी है, प्ररूप 7 में आवेदन प्राप्त हुआ

(पता).....

.....
तारीख.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर का हस्ताक्षर
(पता).....

**आवेदक द्वारा भरा जाना है ।

4. *आक्षेप /*हटाए जाने के लिए कारण :
5. घोषणा : मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं । स्थान : तारीख : **आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान**

टिप्पण - जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है ।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जिसने प्ररूप 7 में निर्वाचक नामावली में श्री/श्रीमती/कुमारी..... के नाम को* सम्मिलित किए जाने/ *हटाए जाने का आक्षेप करने का आवेदन *स्वीकार कर लिया गया है/*नामंजूर कर दिया गया है ।

*स्वीकार करने [नियम 18/20/26(4)£ के अधीन या उसके अनुसरण में] या *नामंजूर करने [नियम 17/*20/*26 (4)£ के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण :

स्थान : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का हस्ताक्षर (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की मुहर)

तारीख :

---

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

£ निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन बनाए रखने के दौरान ।

प्ररूप 8

[नियम 13(3) और 26 देखिए]

निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर,

..... विधान सभा/संसदीय[$] निर्वाचन-क्षेत्र

महोदय,

मैं निवेदन करता हूं कि उपरोक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाए । मेरे निवेदन के समर्थन में शुद्ध विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :-

1. आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	
निर्वाचक नामावली का भाग सं. :	उस भाग में क्रम सं. :		
1 जनवरी, ...[#] - को ..... आयु :	वर्ष :	मास :	लिंग (पुरुष/स्त्री) :
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है :	तारीख :	मास :	वर्ष :
*पिता माता का नाम पति	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	

2. साधारण निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता) :

मकान/गृह सं. :								
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क :								
नगर/ग्राम :								
डाकघर :	पिन कोड :							
तहसील/तालुक/मंडल/थाना :								
जिला :								

3. निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के ब्यौरे (यदि इस या किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में जारी किया गया है)

निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र सं. :

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम :

4. शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों के ब्यौरे

इस प्ररूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार मेरा नाम - *आयु/*मेरे पिता/माता/पति का नाम/*लिंग/*पता/*निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र सं0*शुद्ध कर दिया जाए ।

स्थान :

तारीख : निर्वाचक के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान

टिप्पण - जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।

[$] उन संघ राज्यक्षेत्रों की, जिनमें विधान सभा नहीं है और जम्मू-कश्मीर राज्य की दशा में ।

[#] कृपया वर्ष अर्थात् 2002, 2003 आदि दें ।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

.....(छिद्रण).....

आवेदन की रसीद

** श्री/श्रीमती/कुमारी - ....., जो ..... ** का/की निवासी है, से प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त हुआ ।

तारीख .....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर

(पता) .....

.....

** आवेदक द्वारा भरा जाए ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाए)

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की शुद्धि के लिए प्ररूप 8 में आवेदन को स्वीकार*/नामंजूर* कर दिया गया है ।

स्वीकार *किए जाने [नियम 18/20/26 (4)$ के अधीन या अनुसरण में] या नामंजूर किए जाने [नियम 17/*20/*26 (4)$ के अधीन या अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण :

स्थान : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
तारीख : के हस्ताक्षर आफिसर की मुद्रा)

---

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

$ निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरंतर अद्यतन करने के दौरान ।

प्ररूप 8क

[नियम 13(4) और 26 देखिए]

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर,

..... विधान सभा/संसदीय[$] निर्वाचन-क्षेत्र

महोदय,

मैं निवेदन करता हूं कि उपरोक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे*/नीचे नामित व्यक्ति* से संबंधित प्रविष्टि, इस निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली के सुसंगत भाग में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए । अन्यत्र रखी जाने वाली प्रविष्टि की विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :-

1. उस व्यक्ति के, जिसकी प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाना है, ब्यौरे	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
	उस निर्वाचक नामावली का, जिसमें उसका नाम सम्मिलित है, भाग सं. :	उस भाग में उसका/उसकी क्रम सं. :	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं. (यदि जारी किया गया हो) :

* पिता / माता / पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई है)

2. वर्तमान साधारण निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता) :								
मकान/गृह सं0 :								
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क :								
नगर/ग्राम :								
डाकघर :	पिन कोड :							
तहसील/तालुक/मंडल/थाना :								
जिला :								

3. आवेदन की तारीख को उपरोक्त पते पर लगातार निवास करने की अवधि	वर्ष :	मास :
4. वह भाग सं., जिसमें प्रविष्टि अन्यत्र रखी जानी है (यदि ज्ञात हो) :		

[@]5. आवेदक के ब्यौरे	नाम :		उपनाम (यदि कोई है) :
	उस निर्वाचक नामावली का, जिसमें उसका नाम सम्मिलित है, भाग सं0 :	उस भाग में उसका/उसकी क्रम सं0 :	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं. (यदि जारी किया गया है) :

[$] उन संघ राज्यक्षेत्रों की, जिनमें विधान सभा नहीं है और जम्मू-कश्मीर राज्य की दशा में ।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

[@] जहां आवेदक स्वयं से संबंधित प्रविष्टि को अन्यत्र रखने की मांग करता है वहां भाग 5 नहीं भरा जाए ।

.....(छिद्रण).....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी - ....., जो .....का/की निवासी है, से प्ररूप 8क में आवेदन प्राप्त हुआ ।

तारीख.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(पता) .....

.....

** आवेदक द्वारा भरा जाए ।

6. घोषणा :

मैं यह घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही है ।

स्थान :

तारीख : **आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान**

टिप्पण - जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाए)

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के स्वयं से/श्री/श्रीमती/कुमारी से संबंधित प्रविष्टि को निर्वाचक नामावली में अन्यत्र रखने के लिए प्ररूप 8क में आवेदन को स्वीकार*/नामंजूर* कर दिया गया है ।

स्वीकार* किए जाने या नामंजूर किए जाने [नियम 26 (4) के अधीन] के लिए विस्तृत कारण :

स्थान : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
तारीख : के हस्ताक्षर आफिसर की मुद्रा)

---

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

प्ररूप 8ख

[नियम 26 देखें]

निर्वाचक नामावली में नाम की प्रविष्टि को निकालने के लिए आवेदन

सेवा में,

.....विधान सभा/संसदीय[£] निर्वाचन-क्षेत्र
के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ।

महोदय,

मैं अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नीचे नामित व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि को यहां नीचे दिए गए कारणों से निकाल दी जाने के लिए अपेक्षित है।

I. उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसकी प्रविष्टि निकाली जानी है	1. संबोधन नाम$	2. प्रथम और मध्य नाम	3. अन्तिम नाम
	4. इस निर्वाचक नामावली की भाग संख्या जिसमें उसका नाम शामिल है ।	5. उस भाग में उसकी क्रम संख्या	6. निर्वाचन फोटो पहचान पत्र संख्या
II.(क) उस व्यक्ति के संबंध का ब्यौरा जिसकी प्रविष्टि निकाली जानी है (पिता/माता/पति)	7. संबोधन नाम$	8. प्रथम और मध्य नाम	9. अन्तिम नाम

(ख) उस व्यक्ति के साथ सम्बन्ध, जिसकी प्रविष्टि निकाली जानी है, पिता/माता/पति :

III. आक्षेप के कारण

(क)*	इस तारीख को मृत्यु होने से	10. तारीख :	11. मास :	12. वर्ष :
(ख)*	इस तारीख से मामूली तौर से निवासी नहीं	13. तारीख :	14. मास :	15. वर्ष :
(ग)*	*इस कारण रजिस्ट्रीकरण होने के हकदार नहीं :			

IV.	**(क) आक्षेपकर्ता का ब्यौरा**	16. संबोधन नाम$	17. प्रथम और मध्य नाम	18. अन्तिम नाम
	19. लिंग(पुरुष/स्त्री)	20. इस निर्वाचक नामावली की भाग संख्या जिसमें आक्षेपकर्ता का नाम शामिल है :	21. उस भाग संख्या में उसकी क्रम संख्या :	
	(ख) आक्षेपकर्ता के संबंध का ब्यौरा (पिता/माता/पति)	22. संबोधन नाम$	23. प्रथम और मध्य नाम	24. अन्तिम नाम

(ग) आक्षेपकर्ता के साथ सम्बन्ध : पिता/माता/पति :

V. आक्षेपकर्ता के मामूली तौर से निवास-स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता):

25. मकान/द्वार संख्या :

26. स्ट्रीट/मोहल्ला/मार्ग/गली :

27. क्षेत्र/इलाका :

28. नगर/गांव :

29. डाक घर :	30. पिन कोड :						

31. थाना :

32. तहसील/तालुक :[@]

33. ब्लाक/मण्डल (गांव के लिए)[@]

34. जिला :

[£] संघ राज्यक्षेत्रों में, जहां कोई विधान सभा नहीं है तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में ।

$ श्री/श्रीमती/कु0/डा0, आदि ।

* अनुपयुक्त विकल्प काट दें ।

[@] महानगरीय क्षेत्रों हेतु लागू नहीं होगा ।

<table>
<tr><td colspan="5">की गई कार्रवाई का ब्यौरा
(निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरे जाने के लिए)</td></tr>
<tr><td>पुनरीक्षण का स्वरूप</td><td colspan="4">निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या और नाम</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">निर्वाचक नामावली में स्वयं से श्री*/श्रीमती*/कु0*.. से सम्बन्धित प्रविष्टि को निकाले जाने के लिए श्री/श्रीमती/कु0.................... का प्ररूप 8ख में आवेदन स्वीकार/अस्वीकार* कर दिया गया है ।</td></tr>
<tr><td colspan="5">* स्वीकार किया गया :</td></tr>
<tr><td>नियम 26 (4) के अधीन और निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में संबंधित प्रविष्टि निकाल दी गई है ।</td><td colspan="2">निकाली गई प्रविष्टि के पहले</td><td colspan="2">निकाली गई प्रविष्टि के पश्चात्</td></tr>
<tr><td></td><td>क्रम संख्या</td><td>भाग संख्या</td><td>आबंटित क्रम संख्या</td><td>भाग संख्या...में</td></tr>
<tr><td colspan="5">*अस्वीकार किया गया :</td></tr>
<tr><td colspan="5">*नियम 26 (4) के अधीन अस्वीकार किया गया</td></tr>
<tr><td colspan="5">स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने [नियम 26(4) के अधीन] * के विस्तृत कारण :</td></tr>
</table>

स्थान :

तारीख : (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की सील)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ताक्षर

---

* अनुपयुक्त विकल्प काट दें ।

<table>
<tr><td colspan="3">VI. आक्षेपकर्ता के फोटो पहचान-पत्र का ब्यौरा, यदि इस या किसी दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र में जारी किया गया हो।</td></tr>
<tr><td colspan="2">35. निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्या :</td><td>36. जारी करने की तारीख :</td></tr>
<tr><td colspan="2">37. निर्वाचन-क्षेत्र (विधान सभा/संसदीय£ निर्वाचन-क्षेत्र) संख्या :</td><td>नाम :</td></tr>
<tr><td colspan="3">VII. घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं ।
स्थान :
तारीख :</td></tr>
<tr><td colspan="2">मैं यह आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ, द्वारा-
(i) श्री/श्रीमती/कु0 (पूरा नाम व पता)</td><td>आवेदक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान
अथवा(ii) स्वयं*/ अथवा(iii) डाक* द्वारा

आवेदक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td rowspan="2">टिप्पणी : जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या धोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है ।</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान*</td></tr>
</table>

*अनुपयुक्त विकल्प काट दें ।

£संघ राज्यक्षेत्रों में, जहां कोई विधान सभा नहीं है तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में।

रजिस्ट्रीकरण आफिसर अथवा उसके द्वारा पदाभिहित अन्य आफिसर के प्रयोग के लिए

पावती का ब्यौरा **(आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर द्वारा भरे जाने के लिए)**		
आवेदक को जारी पावती रसीद का ब्यौरा		
रसीद की संख्या :		
रसीद की तारीख :		आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर
आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर की टिप्पणी, यदि कोई हो :		
आवेदन निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया :		
आफिसर का नाम :		
पदनाम* :		

स्थान :
तारीख :

आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ।

प्ररूप 9

[नियम 15 और 16 देखिए]

नाम सम्मिलित करने के लिए प्ररूप 6 में प्राप्त आवदेनों की सूची

अभिहित स्थान की पहचान (जहां आवेदन प्राप्त किए गए हैं)		**पुनरीक्षण का स्वरूपः**
	निर्वाचन-क्षेत्र (विधान सभा/संसदीय[Ψ] निर्वाचन-क्षेत्र)	

1.सूची संख्या[ϕ]	**2.आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित)**	तारीख से	तारीख तक
		...../...../.....	...../...../..... ..

3. सुनवाई का स्थान[γ]

आवेदन की क्रम संख्या[Σ]	**प्राप्ति की तारीख**	**दावेदार का नाम**	**पिता/माता/पति का नाम और (संबंध)[Φ]**	**निवास स्थान**	**सुनवाई की तारीख[ϕ]**	**सुनवाई का समय[ϕ]**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6क)	(6ख)

नियम 15(ख) के अधीन अभिहित स्थान पर प्रदर्शन की तारीख	**नियम 16(ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख**

पृष्ठ.....में जारी

[Ψ] संघ राज्यक्षेत्रों में, जहां कोई विधान सभा नहीं है तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में ।

[ϕ] इस पुनरीक्षण हेतु इस अभिहित स्थान के लिए ।

[γ] निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख ।

[Σ] प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी ।

[Φ] सम्बन्ध पि-पिता, मा-माता, और प-पति के रूप में कोष्ठकों में अर्थात्, (पि), (मा), (प) दें ।

अनुवर्ती कागज

1	2	3	4	5	6(क)	6(ख)

पृष्ठ संख्या.....

प्ररूप 10

[नियम 15 और 16 देखिए]

नामों को सम्मिलित करने के विरुद्ध आपत्ति करने के लिए प्ररूप 7 में प्राप्त आवेदनों की सूची

अभिहित स्थान की पहचान (जहां आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	**निर्वाचन-क्षेत्र (विधान सभा/संसदीय[α] निर्वाचन-क्षेत्र) :**	पुनरीक्षण का स्वरूपः

1. सूची संख्या[β]	2. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित)	तारीख से	तारीख तक
3. **सुनवाई का स्थान[δ] :**		...../...../.....	...../...../.....

आवेदन की क्रम संख्या[ϕ]	प्राप्ति की तारीख	आक्षेपकर्ता का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित व्यक्ति का ब्यौरा			आक्षेप के लिए संक्षेप में कारण	सुनवाई की तारीख	सुनवाई का समय
			भाग संख्याक	क्रम संख्यांक	पूरा नाम			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8(क)**	**8(ख)**

नियम 15(ख) के अधीन अभिहित स्थान पर प्रदर्शन की तारीख	नियम 16(ख) **के** अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

[α] संघ राज्यक्षेत्र में, जहां कोई विधान सभा नहीं है तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में ।

[β] इस पुनरीक्षण हेतु इस अभिहित स्थान के लिए ।

[δ] निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख ।

[ϕ] प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु अभिहित प्रत्येक स्थान के लिए क्रमिक क्रम संख्या देनी होगी ।

								अनुवर्ती कागज
1	2	3	4	5	6	7	8(क)	**8(ख)**

प्ररूप 11

[नियम 15 और 16 देखिए]

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की विशिष्टियों पर आक्षेप के लिए प्ररूप 8 में प्राप्त आवेदनों की सूची

अभिहित स्थान की पहचान (जहां आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	निर्वाचन-क्षेत्र (विधान सभा/संसदीय[$] निर्वाचन-क्षेत्र)	पुनरीक्षण का स्वरूप	
1.सूची संख्या [@]	**2. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में शामिल)**	तारीख से	तारीख तक
		...../...../.....	...../...../.....
3. सुनवाई का स्थान * :			

आवेदन की क्रम संख्या	प्राप्ति की तारीख	आक्षेप करने वाले निर्वाचक का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित प्रविष्टि की विशिष्टियां		आक्षेप की प्रकृति	सुनवाई की तारीख**	सुनवाई का समय**
			भाग संख्यांक	क्रम संख्यांक			
1	2	3	4	5	6	7(क)	7(ख)

नियम 15(ख) के अधीन अभिहित स्थान पर प्रदर्शन की तारीख	**नियम 16(ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख**

$ संघ राज्यक्षेत्रों में,जहां कोई विधान सभा नहीं है तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में ।

@ इस पुनरीक्षण हेतु इस अभिहित स्थान के लिए ।

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख ।

** प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए क्रमिक क्रम संख्या देनी होगी ।

पृष्ठ ..... में जारी

							अनुवर्ती कागज
1	2	3	4	5	6	7(क)	7(ख)

पाद टिप्पण : मूल नियम का0आ0 2750, तारीख 10 नवंबर, 1960 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

(1) का0 आ0 2315, तारीख 21 सितंबर, 1961

(2) का0 आ0 2791, तारीख 24 सितंबर, 1961

(3) का0 आ0 2577, तारीख 6 सितंबर, 1963

प्ररूप 12

[नियम 19(1) (ख)(i) देखिए]

दावे की सुनवाई की सूचना

दूसरी प्रति

(कार्यालय प्रति)

सेवा में

(दावेदार का पूरा नाम और पता)**.....**

प्रसंग.....दावा संख्यांक.....

यह सूचना दी जाती है कि निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आपके दावे की सुनवाई 20.....के/की.....के.....दिन.....बजे.....

.....(स्थान) में होगी । आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों ।

स्थान.....

तारीख..... .....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

प्ररूप 12

[नियम 19(1) (ख)(i) देखिए]

दावे की सुनवाई की सूचना

मूल

.....

(दावेदार पर तामील किए जाने के लिए)

सेवा में

(दावेदार का पूरा नाम और पता)**.....**

प्रसंग.....दावा संख्यांक.....

यह सूचना दी जाती है कि निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आपके दावे की सुनवाई 20..... के/की ..... के ..... दिन..... बजे .....(स्थान) में होगी । आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों ।

स्थान.....

तारीख..... .....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

सूचना की तामील का प्रमाणपत्र

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई

तारीख..... .....

दावेदार

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील दावेदार (नाम) ....पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर लगाकर आज.....दिन सम्यक् रूप से कर दी है ।

स्थान.....

तारीख..... .....

तामील करने वाला आफिसर

ध्यान दीजिए :-- यदि इस सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए ।

प्ररूप 13

[नियम 19(1) (ख)(ii) देखिए]

आक्षेपकर्ता की सूचना

दूसरी प्रति

(कार्यालय प्रति)

सेवा में

(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता)**.....**

प्रसंग.....दावा संख्यांक.....

यह सूचना दी जाती है कि..... का नाम सम्मिलित किए जाने पर आपके आक्षेप की सुनवाई 20..... के/की ..... के. ..... दिन ..... बजे ..... (स्थान) में होगी । आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों ।

स्थान.....

तारीख.....

.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

प्ररूप 13

[नियम 19(1) (ख)(ii) देखिए]

आक्षेपकर्ता की सूचना

मूल

.....

(आक्षेपकर्ता पर तामील किए जाने के लिए)

सेवा में

(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता) **.....**

प्रसंग.....दावा संख्यांक.....

यह सूचना दी जाती है कि..... का नाम सम्मिलित किए जाने पर आपके आक्षेप की सुनवाई 20..... के/की ..... के ..... दिन ..... बजे ..... (स्थान) में होगी । आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों ।

स्थान.....

तारीख.....

.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

सूचना की तामील का प्रमाणपत्र

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई

तारीख..... .....

आक्षेपकर्ता

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील आक्षेपकर्ता (नाम) ....पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर लगाकर आज.....के.....दिन सम्यक् रूप से कर दी है ।

स्थान.....

तारीख..... .....

तामील करने वाला आफिसर

ध्यान दीजिए :-- यदि इस सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए ।

प्ररूप 14

[नियम 19(1)(ख)(ii) देखिए]

[1][ऐसे व्यक्ति को, जिसकी बाबत आक्षेप किया गया है, सूचना]

दूसरी प्रति

(कार्यालय प्रति)

सेवा में,

(जिस व्यक्ति के बारे में आक्षेप किया गया है उसका पूरा नाम और पता).....

.....

प्रसंग.....आक्षेप संख्यांक.....

यह सूचना दी जाती है कि.....निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम संख्यांक .....पर उसका नाम सम्मिलित किए जाने पर जो आक्षेप..... (आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता) ने किया है उसकी सुनवाई 20..... के/की ..... के ..... दिन.....बजे.....(स्थान) में होगी । आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों । आक्षेप के आधार (संक्षेप में) इस प्रकार हैं :--

(क)

(ख)

(ग)

स्थान..... .....

तारीख..... निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

प्ररूप 14

[नियम 19(1)(ख)(ii) देखिए]

[1][ऐसे व्यक्ति को, जिसकी बाबत आक्षेप किया गया है, सूचना]

मूल

(उस व्यक्ति पर जिसके बारे में आक्षेप किया
गया है तामील किए जाने के लिए)

सेवा में

(जिस व्यक्ति के बारे में आक्षेप किया गया है उसका पूरा नाम और पता).....

.....

प्रसंग.....आक्षेप संख्यांक.....

यह सूचना दी जाती है कि.....निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम संख्यांक.....पर आपका नाम सम्मिलित किए जाने पर जो आक्षेप (आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता).....ने किया है उसकी सुनवाई 20.....के/की ..... के .....दिन.....बजे.....(स्थान) में होगी । आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों । आक्षेप के आधार (संक्षेप में) इस प्रकार हैं :--

(क)

(ख)

(ग)

स्थान..... .....

तारीख..... निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा अन्तःस्थापित ।

सूचना की तामील का प्रमाणपत्र

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई

तारीख..... .....

वह व्यक्ति जिसके बारे में आक्षेप किया गया है

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील जिस व्यक्ति के नाम से सम्बद्ध प्रविष्टि पर आक्षेप किया गया है उस व्यक्ति (नाम) .....पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर लगाकर आज.....के.....दिन सम्यक् रूप से कर दी है ।

स्थान.....

तारीख..... .....

तामील करने वाला आफिसर

ध्यान दीजिए :-- यदि इस सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए ।

प्ररूप 15

[नियम 19(1)(ख)(iii) देखिए]

किसी प्रविष्टि में की विशिष्टियों पर आक्षेप की सुनवाई की सूचना

दूसरी प्रति

(कार्यालय प्रति)

सेवा में

(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता).....

प्रसंग--आक्षेप संख्यांक.....

यह सूचना दी जाती है कि आपसे संबद्ध प्रविष्टि में का कुछ विशिष्टियों पर आपके आक्षेप की सुनवाई 20.....के कृत्य.....के.....दिन.....बजे.....(स्थान) में होगी । आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों ।

स्थान..... .....

तारीख..... निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

प्ररूप 15

[नियम 19(1)(ख)(iii) देखिए]

किसी प्रविष्टि में की विशिष्टियों पर आक्षेप की सुनवाई की सूचना

मूल

(आक्षेपकर्ता पर तामील किए
जाने के लिए)

सेवा में

(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता).....

प्रसंग--आक्षेप संख्यांक.....

यह सूचना दी जाती है कि आपसे संबद्ध प्रविष्टि में की कुछ विशिष्टियों पर आपके आक्षेप की सुनवाई 20..... के/की .....के.....दिन.....बजे.....(स्थान) में होगी । आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों ।

स्थान..... .....

तारीख..... निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

सूचना की तामील का प्रमाणपत्र

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई

तारीख ....
आक्षेपकर्ता

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील आक्षेपकर्ता (नाम) ..... पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास-स्थान पर लगाकर आज ..... के दिन सम्यक् रूप से कर दी है ।

.....
तामील करने वाला आफिसर

स्थान .....
तारीख .....

ध्यान दीजिए :- यदि इस सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए ।

---

[1][प्ररूप 16

[नियम 22(1) देखिए]

निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि ..... निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के प्रारूप में किए गए संशोधनों की सूची अर्हक तारीख के रूप में ..... के संदर्भ में और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अनुसार तैयार की गई है और उक्त नामावली की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी ।

.....
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
तारीख ..... पता .....
स्थान ....]

प्ररूप 17

(नियम 30 देखिए)

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

..... (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को,

महोदय,

मैं .....का सदस्य हूँ जो .....स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाओं के अंदर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला संघटक स्थानीय प्राधिकारी है अतः मैं उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उसकी निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए ।

मेरा पता इस प्रकार है---

.....
.....
.....

भवदीय

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 814(अ0) ,तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 16 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 18
(नियम 31 देखिए)

स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
.....(स्नातक) निर्वाचन-क्षेत्र,

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूं कि.....(स्नातक) निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाए ।

विशिष्टियां इस प्रकार हैं:--

नाम (पूरा).....स्त्री/पुरुष.....पिता/माता/पति का नाम (पूरा).....
अर्हता.....
उपजीविका.....
घर का पता (सामान्य निवास-स्थान).....
मकान नं0 .....
गली/मोहल्ला .....
नगर/ ग्राम.....
डाकधर .....
पुलिस स्टेशन/तहसील/ तालुका/मौजा.....
जिला .....
आयु .....

2. मै*.....विश्वविद्यालय का स्नातक हूं और मैंने अपनी डिग्री/डिप्लोमा के लिए सन् 20.....में परीक्षा उत्तीर्ण की ।

या

*मेरे पास.....में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र है जो भारत के विश्वविद्यालय के स्नातक की समतुल्य अर्हता है और मैंने .....वर्ष में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की ।

3. स्नातक होने, उपर्युक्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारण करने के समर्थन में, मैं, इसके साथ.....पेश करता हूं।

4.** इस या किसी अन्य स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया हुआ है ।

.या

**नीचे दिए गए पते पर.....स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किया हुआ है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उस नामावली से निकाल दिया जाएः---

.....
.....
.....

5. मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और ऊपर दी गई सब विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

स्थान.....
तारीख..... .....
दावेदार के हस्ताक्षर

टिप्पण :-- जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।

* जो पैरा लागू न हो उसे काट दीजिए ।
** जो शब्द समुचित न हों उन्हें काट दीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 814(अ0) ,तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 18 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

.....**छिद्रण**.....

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, के प्ररूप 18 में आवेदन को,

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के नाम को भाग सं0 ..... में क्रम सं0.....पर रजिस्टर कर दिया गया है ।

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया हैः

..... निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

..... पता.....

तारीख..... .....

.....**छिद्रण**.....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो..... * का/की निवासी है, प्ररूप 18 में आवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

पता.....

तारीख..... .....]

* आवेदक द्वारा भरा जाए ।

[1][प्ररूप 19

(नियम 31 देखिए)

शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा

सेवा में,

..... (शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र के

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ।

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूं कि.....(शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाए विशिष्टियां इस प्रकार हैं :--

नाम (पूरा) .....स्त्री/पुरुष.....
पिता/माता/पति का नाम (पूरा) .....
घर का पता (सामान्य निवास स्थान).....
.....
मकान नं0.....
गली/मोहल्ला.....
नगर/ग्राम.....
डाकघर.....
पुलिस स्टेशन/तहसील/तालुका/मौजा.....
जिला .....
आयु .....

2. पिछले छह वर्षों के दौरान मैं तीन वर्ष से अधिक की कुल कालावधि के लिए शिक्षा देने में लगा रहा हूं जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है : ---

शैक्षिक संस्था का नाम	(इस तारीख) से	(इस तारीख) तक	कालावधि
1.			
2.			
3.			
4.			

उपरोक्त के समर्थन में मैं इसके साथ.....पेश करता हूं ।

3* इस या किसी अन्य शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया हुआ है ।

या

*नीचे दिए गए पते पर.....शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किया हुआ है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उस नामावली से निकाल दिया जाएः---

.....
.....
.....

4. मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और ऊपर दी गई सब विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

स्थान.....
तारीख..... .....
दावेदार के हस्ताक्षर

टिप्पण :---जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 814(अ) , तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* जो पैरा लागू न हो उसे काट दीजिए ।

.....**छिद्रण**.....

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी [^].....जो.....का/की निवासी है, के प्ररूप 19 में आवेदन को,--

(क) स्वीकार कर लिया गया है और भाग सं0 ..... में क्रम सं0.....पर रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है ।

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया ।

..... निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

..... (पता).....]

तारीख.....

.....**छिद्रण**.....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी**.....जो..... ** का/की निवासी है, के प्ररूप 19 में आवेदन प्राप्त हुआ ।

तारीख.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

(पता).....]

** आवेदक द्वारा भरा जाए ।